सं0–2795/69.1.2000–58 (सा)/99 टी.सी.

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँक–31 जुलाई, 2000

विषय : दुर्बल वर्ग आय के आवासों का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2718ए/69.1.2000.58 (सा)/99 टी.सी. दिनांक 24 जुलाई 2000 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व संचालित शाशू उपयोजनान्तर्गत विभिन्न जनपद स्तर पर अप्रयुक्त पड़ी धनराशि को राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम से लिंकेज करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जनपद–मेरठ में 300 एवं कानपुर नगर में 4.35 दुर्बल वर्ग आय के आवासों का निर्माण/सुधार किया जाए।

2. अवगत है कि राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार योजनान्तर्गत अवमुक्त की जाने वाली कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि दुर्बल वर्ग आय के आवासों का निर्माण/सुधार हेतु निश्चित करना अनिवार्य है चूंकि पूर्व संचालित शाशू योजनान्तर्गत जनपद–स्तर धनराशि उपलब्ध है, जिसका अविलम्ब उपयोग किया जाना है एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए शाशू योजना को राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम से लिंकेज करते हुए उपर्युक्त 02 जनपद यथा–मेरठ एवं कानपुर नगर में क्रमशः 300 एवं 435 दुर्बल वर्ग आय के आवासों का निर्माण/सुधार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर किया जायेगा।

1. पूर्व संचालित शाशू योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार रूपया 9,950/– का ऋण एवं रूपया 1000/– की अनुदान राशि लाभार्थी को दी जायेगी।

2. राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के दिशा निर्देश एवं शाशू योजना में लिंकेज किये जाने के फलस्वरूप रूपया 5000/– की धनराशि अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)/स्थानीय विकास हेतु एन.एस.डी.पी. योजना से वहन की जायेगी (औसतन प्रति यूनिट)।

3. अंशदान/श्रमांश के रूप में लाभार्थी द्वारा रूपया 4050/– की राशि वहन की जायेगी।

4. इस कार्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित लाभार्थी की व्यक्तिगत भूमि अथवा कोई अन्य भूमि जिसपर विधिक रूप से उसका निःशुल्क स्वत्व बनता हो, पर ही योजन आच्छादित होगी।

5. भारत सरकार एवं हडको के सहायोग से चलाये जा रहे बिल्डिंग सेन्टर्स से भवन निर्माण हेतु सामग्री लेने को प्राथमिकता दी जाये।

6. नियमानुसार लाभार्थियों का चयन कर प्रस्ताव पर डूडा के शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त ही आवासों का निर्माण कराया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण एवं लाभार्थी के ऋण की वसूली तथा अन्य शर्तें/उपलब्ध पूर्व निर्गत आदेशों के अधीन होगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार जनपद मेरठ में 300 तथा कानपुर नगर में 435 दुर्बल आय वर्ग के आवासों का निर्माण/सुधार कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा को निर्देशित कर दें कि शासी निकाय के अनमोदन उपरान्त नियमानुसार आवासों का निर्माण/सुधार कराते हुए दिनांक 31.3.2001 तक कार्य पूर्ण करा लें। इस निमित्त पूर्व में संचालित जनपदों से परिवर्तित कर पूर्व निर्गत जनपदों में अप्रयुक्त पड़ी राशि सम्बन्धित जनपदों से परिवर्तित कर पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 24.7.2000 में उल्लिखित जनपद एवं मेरठ तथा कानपुर नगर को उपलब्ध कराते हुए राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सूडा मुख्यालय पर उपलब्ध धनराशि को नियमानुसार अवमुक्त करें।

भवदीय

(एस0 आर0 लाखा)
सचिव

सं0–2795 (1)/69.1.2000–58 (सा)/99 टी.सी. तद्दिनांक :
प्रतिलिपि जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए प्रकरणान्तर्गत हुई प्रगति से शासन एवं सूडा को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राम किशोर)
अनु सचिव